

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

Need to include Bhojpuri in the Eighth Schedule to the Constitution

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): सर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया। यह मामला 20 करोड़ भोजपुरी बोलने वालों की भावना से जुड़ा हुआ है। इस देश में करीब 20 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं और करीब सात-आठ करोड़ लोग विदेशों में भी बोलते हैं। भोजपुरी बोलने वालों की बहुत सालों से भावना है कि उनकी भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में जोड़ा जाए, जिससे कि इसको जो सम्मान मिलना चाहिए, वह मिल सके। भोजपुरी भाषा न केवल भारत में बोली जाती है, बल्कि मॉरीशस में, सूरीनाम में, युगांडा में, मालदीव में और नेपाल में बोली जाती है। सर, विशेषकर नेपाल और मॉरीशस में इसको संवैधानिक स्तर भी दे दिया गया है। सर, मुझे आपसे इसके लिए अनुरोध करना है। यह बात संसद में 1969 से उठाई जा रही है। हम लोग पचास साल से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि इसको आठवीं सूची में डाला जाए।

सर, अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि पिछली बार यूपीए सरकार में उस समय के गृह मंत्री जी ने जो कभी-कभी हिन्दी भी नहीं बोलते हैं, लेकिन उन्होंने भोजपुरी में बोला था कि "हम रउआ सबै के भावना के समझत बानी", लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं है।

सर, मुझे एक बात और कहनी है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि देश-विदेश में बसे करोड़ों भोजपुरी बोलने वालों की भावनाओं को समझें और जल्द से जल्दी विधेयक लाकर भोजपुरी को आठवीं सूची में शामिल किया जाए, धन्यवाद।

SHRI K.J. ALPHONS (Rajasthan): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्री राम विचार नेताम (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री सकलदीप राजभर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री नरहरी अमीन (गुजरात): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

डा. विकास महात्मे (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री राकेश सिन्हा (नाम निर्देशित): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री विवेक ठाकुर (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्रीमती रमिलाबेन बारा (गुजरात): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूँ।

Need for conversion of the sanctioned Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (F.I.D.F.) loan as grant for fishing harbours in the State of Andhra Pradesh

SHRI VENKATARAMANA RAO MOPIDEVI(Andhra Pradesh): "Sir, we have requested the Central Government to convert the Fisheries and Aquaculture

*English translation of the original speech made in Telugu.